पत्रांक–9A/विविध (पोर्टल) 03–08/2025–1623 (9A)/रा0,

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

मोना झा,
उप निदेशक।

सेवा में,

ई–मेल

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना–15, दिनांक–18/06/2026

विषय :– दिनांक–01.01.2026 के प्रभाव से राजस्व अभिलेखों की ऑनलाइन सत्यापित प्रति निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक–3793(9A), दिनांक–24.12.2025

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा सभी राजस्व अभिलेखों की केवल डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति ही निर्गत करने का निदेश संसूचित है। इस प्रकार अब राजस्व अभिलेखों की कोई भी सत्यापित प्रतिलिपि ऑफलाइन निर्गत नहीं की जानी है। दिनांक–01.01.2026 के पश्चात सभी प्रकार के राजस्व अभिलेखों की केवल डिजिटल हस्ताक्षरित प्रतियाँ ही भू–अभिलेख पोर्टल के माध्यम से निर्गत की जाएगी, जो सत्यापित प्रति के रूप में विधिमान्य है।

अतएव अनुरोध है कि राजस्व अभिलेखों की केवल ऑनलाइन हस्ताक्षरित प्रति निर्गत करने हेतु सभी संबंधितों को निदेशित किया जाए। साथ ही यदि ऑफलाइन माध्यम से राजस्व अभिलेखों का नकल निर्गत करने का कोई मामला संज्ञान में आता है तो दोषी पदाधिकारियों/कर्मियों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुकूल कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

17/6/26

(मोना झा),
उप निदेशक।

E:\2026\9A\Letter_2026.docx